न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 13 / 2024

1 जीवणराम उम्र 81 साल पुत्र तुलसाराम जाति जाट निवासी भड़िया का बास तन कुहाडू तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 राजेन्द्र पुत्र जमनाराम
2 हरफुल पुत्र जमनाराम
3 हरिराम पुत्र लादुराम
4 संतोष स्त्री जयकरण
5 रामवतार पुत्र जयकरण
6 सुलतान पुत्र श्योपालसिंह
7 परमेश्वरी स्त्री स्व. बीरबल
8 सुरेश पुत्र स्व. बीरबल
9 मनोहर पुत्र स्व. बीरबल
जाति समस्त जाट निवासीगण भड़िया का बास तन कुहाडू तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं राज.।
10 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मण्डावा जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ. धारा 223 आरटी.एक्ट 1955
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री बअदालत उपखण्ड अधिकारी मण्डावा राज. मुकदमा उनवानी राजेन्द्र वगैरह बनाम हरिराम मु.नं. 246 / 2022 दावा बाबत खाता विभाजन निर्णय व डिक्री दिनांक 09.02.2024

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री बाबूलाल मील, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 31/10/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा द्वारा मुकदमा नम्बर 246/2022 में पारित निर्णय दिनांक 09.02.2024 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध एक दावा विचारण न्यायालय के यहां दावा बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती तथा स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त दावा को बहक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 दिनांक 09.02.2024 को निर्णित कर डिक्री किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की गई है। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 12.08.2021 को अपीलान्ट की पर्याप्त तामील मानकर गलत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही की है। विचारण न्यायालय ने आदेशिका दिनांक 12.08.2021 में यह दर्ज किया है कि प्रतिवादी संख्या 1, 5 व 8 की तामील पूर्व में पर्याप्त सम्यक होकर प्राप्त जो मान्य की जाती है। प्रतिवादी संख्या 8 अपीलान्ट है। विचारण न्यायालय ने यह दर्ज नहीं किया है कि अपीलान्ट (प्रतिवादी संख्या 8) की तामील पूर्व से किस तारीख पेशी व दिवस को सम्यक रूप से हुई। दावा दिनांक 08.08.2019 को विचारण न्यायालय के यहां दर्ज हुआ। विचारण न्यायालय पत्रावली पर दिनांक 12.12.2019, दिनांक 03.02.2020 व दिनांक 19.03.2020 की पेशी के अपीलान्ट के सम्मन लगे हुये है। दिनांक 12.12.2019 की कोई तारीख पेशी तय नही थी। दिनांक 12.12.2019 की तारीख

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पेशी का सम्मन पर तामील कुनिन्दा की सशपथ रिपोर्ट नहीं है। तामील कुनिन्दा ने तथाकथित तामील रिपोर्ट पर समय व दिनांक अंकित नहीं किया है। सम्मन लेने से इंकार किसने किया यह दर्ज नहीं है और मकान पर चश्पा करने का विचारण न्यायालय को आदेश हो ऐसा तथ्य भी दर्ज नहीं है। इसके पश्चात दिनांक 03.02.2020 की तारीख पेशी के लिये जो सम्मन अपीलान्ट को जारी हुआ उसको विचारण न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया है। दिनांक 03.02.2020 को अपीलान्ट की तलबी हेतु पुनः तलवाना पेश करने के आदेश दिये गये है। इसके पश्चात पत्रावली पर दिनांक 19.03.2020 का सम्मन मौजुद होने और पत्रावली की आदेशिकाओं को देखने से ऐसा प्रकट होता है कि दिनांक 19.03.2020 के सम्मन के द्वारा अपीलान्ट की तामील मानी गई है। दिनांक 19.03.2020 की तारीख पेशी के लिये जारी किया गया सम्मन अदालत विचारण न्यायालय की पत्रावली पर पेश हुआ हो अथवा विचारण न्यायालय ने जारी किया हो अथवा संबंधित तहसीलदार अथवा तामील एजेन्सी ने उक्त सम्मन को तामील कुनिन्दा को तामील के लिये दिया हो अथवा बाद तामील संबंधित तहसीलदार अथवा तामीली ऐजेन्सी ने विचारण न्यायालय के यहां पेश किया हो ऐसी कोई प्रविष्टि विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं पर नहीं है। विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित करने का आधार नामान्तकरण संख्या 412 सन 1983 को माना है। उक्त नामान्तकरण संख्या 412 विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा पेश कर प्रदर्शित कर साबित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय के यहां रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की तरफ से यह प्लींडिग रही है कि जमीन जैर बहस के संबंध में तत्कालीन सहायक कलक्टर की अदालत में उनके तथा अन्य रेस्पोडेन्टस के पूर्वज जमनाराम व लादुराम द्वारा एक दावा उनवानी जमनाराम बनाम तुलसाराम मु.नं. 265/1983 पेश किया गया और उक्त दावा के आधार पर नामान्तकरण संख्या 412 सन 1983 में स्वीकार हुआ और यह प्लीड किया गया कि उक्त निर्णय व डिक्री के आधार पर स्वीकृत हुए नामान्तकरण संख्या 412 के मुताबिक राजस्व रिकार्ड नहीं बना। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के दावा का आधार उपरोक्त वर्णित मु.नं. 265/1983 व नामान्तकरण संख्या 412 ग्राम कुहाडु रहा। कानून से उपरोक्त वादकारण को सही मानकर विचारण न्यायालय ने बहक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 दावा को निर्णित करने में कानूनी गलती

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

की है। जमीन जैर बहस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 9 का भौतिक कब्जा काश्त नहीं है। कब्जे के अभाव में कानून से घोषणा का अनुतोष नहीं दिया जा सकता। तथाकथित राजस्व वाद संख्या 265/1983 निर्णय 20.05.1983 की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अंदर मियाद 12 साल पालना नहीं करवाई है। इजराय की मियाद निकलने के बाद इजराय की पालना करवाने के उद्देश्य से नया दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की प्लींडिग को सही माना जाने की सुरत में भी अंदर मियाद 12 साल जमीन को क्लेम नहीं करने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी दफा 63 (4) आर.टी.एक्ट 1955 के तहत **Extinguished** हो चुकी है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2007 पेज 414, आरबीजे 2011 पेज 568, आरबीजे 2000 पेज 400, एआईआर 2016 राज एचसी पेज 89, आरबीजे 2001 पेज 105 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलान्ट की सम्यक तामील हुई है। सम्यक तामील के उपरांत अनुपस्थित रहने पर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय में विधिक प्रकिया अनुसार सुनवाई कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। प्रस्तुत प्रकरण में सहायक कलेक्टर झुन्झुनूं के द्वारा दावा संख्या 265/1983 में पारित निर्णय व डिक्री के अनुसार नामान्तकरण संख्या 412 का राजस्व रिकार्ड में अमल नहीं होने पर विचारण न्यायालय में विचाराधीन निर्णय से पूर्व वाद के निर्णय के अनुसार विचाराधीन डिक्री पारित की है। अपीलान्ट ने प्रकरण के गुणावगुण के खण्डन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

संख्या 1 व 2 ने अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध एक दावा विचारण न्यायालय के यहां दावा बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती तथा स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त दावा को बहक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 दिनांक 09.02.2024 को निर्णित कर डिक्री किया।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा वाद में प्रतिवादीगण की सम्यक तामील करवाये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 12.08.2021 को अपीलान्ट की पर्याप्त तामील मानकर गलत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही की है।

विचारण न्यायालय ने आदेशिका दिनांक 12.08.2021 में यह दर्ज किया है कि प्रतिवादी संख्या 1, 5 व 8 की तामील पूर्व में पर्याप्त सम्यक होकर प्राप्त जो मान्य की जाती है। प्रतिवादी संख्या 8 अपीलान्ट है। विचारण न्यायालय ने यह दर्ज नहीं किया है कि अपीलान्ट (प्रतिवादी संख्या 8) की तामील पूर्व से किस तारीख पेशी व दिवस को सम्यक रूप से हुई। दावा दिनांक 08.08.2019 को विचारण न्यायालय के यहां दर्ज हुआ। विचारण न्यायालय पत्रावली पर दिनांक 12.12.2019, दिनांक 03.02. 2020 व दिनांक 19.03.2020 की पेशी के अपीलान्ट के सम्मन लगे हुये है। दिनांक 12.12.2019 की कोई तारीख पेशी तय नही थी। दिनांक 12. 12.2019 की तारीख पेशी का सम्मन पर तामील कुनिन्दा की सशपथ रिपोर्ट नहीं है। तामील कुनिन्दा ने तथाकथित तामील रिपोर्ट पर समय व दिनांक अंकित नहीं किया है। सम्मन लेने से इंकार किसने किया यह दर्ज नहीं है और मकान पर चश्पा करने का विचारण न्यायालय को आदेश हो ऐसा तथ्य भी दर्ज नहीं है।

इसके पश्चात दिनांक 03.02.2020 की तारीख पेशी के लिये जो सम्मन अपीलान्ट को जारी हुआ उसको विचारण न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया है। दिनांक 03.02.2020 को अपीलान्ट की तलबी हेतु पुनः तलवाना पेश करने के आदेश दिये गये है। इसके पश्चात पत्रावली पर दिनांक 19.03.2020 का सम्मन मौजुद होने और पत्रावली की आदेशिकाओं को देखने से ऐसा प्रकट होता है कि दिनांक 19.03.2020 के सम्मन के द्वारा अपीलान्ट की तामील मानी गई है। दिनांक 19.03.2020 की तारीख पेशी

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

के लिये जारी किया गया सम्मन अदालत विचारण न्यायालय की पत्रावली पर पेश हुआ हो अथवा विचारण न्यायालय ने जारी किया हो अथवा संबंधित तहसीलदार अथवा तामील एजेन्सी ने उक्त सम्मन को तामील कुनिन्दा को तामील के लिये दिया हो अथवा बाद तामील संबंधित तहसीलदार अथवा तामीली ऐजेन्सी ने विचारण न्यायालय के यहां पेश किया हो ऐसी कोई प्रविष्टि विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं पर नहीं है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित करने का आधार नामान्तकरण संख्या 412 सन 1983 को माना है। उक्त नामान्तकरण संख्या 412 विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा पेश कर प्रदर्शित कर साबित नहीं किया गया है।

स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा सम्यक तामील करवाये बिना, साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, विधिक प्रकिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट का जवाब दावा प्राप्त कर, तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.11.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 31/10/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर